

1m)

हरियाणा सरकार
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग
आदेश

श्री गजेन्द्र कुमार प्रधानाचार्य, वर्ग 'क' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नगीना को सरकार के आदेश पत्र क्रमांक टीई /102/184/ स्थापना-11/593 दिनांक 5.5.2016 द्वारा निलम्बित किया गया था को तुरन्त प्रभाव से बहाल करते हुए उन्हें राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में रिक्त पद के प्रति लगाया जाता है।

दिनांक 29.9.2016

ए.के. सिंह
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।

पृ० क्रमांक टीई/102/184/स्थापना-11/9523 दिनांक 29-09-2016

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती

है:-

1. निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा ।
2. अतिरिक्त प्रधान सचिव/सी०एम० ।
3. निजी सचिव/आई०टी०एम० ।
4. निजी सचिव/पी०एस० आई.टी ।
5. लेखाकार, (ए एण्ड ई) हरियाणा ।
6. अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी)
7. नोडल अधिकारी विभागीय बैवसाईट ।
8. सहायक निदेशक, अनुशासनिक सैल ।
9. प्रधानाचार्य राजकीय आई० टी० आई० फरीदाबाद व नगीना ।
10. सम्बन्धित अधिकारी
11. सेवापंजी सहायक/गोपनीय उप अधीक्षक ।

अधीक्षक (औ० प्रशि०)
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।